न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03/2022	2022/00021	21.04.2022	19.05.2025

1. श्री देवीलाल पिता नंदलाल गायरी उम्र 30 वर्ष निवासी चमलावदा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री घनश्याम पिता अम्बालाल गायरी उम्र 30 वर्ष निवासी चमलावदा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री श्यामलाल पित बगदीराम दर्जी आयु व्यस्क
2. श्री अनुसुया बाई पुत्री बगदीराम दर्जी आयु व्यस्क
3. श्री गिरजाबाई बाई पुत्री बगदीराम दर्जी आयु व्यस्क
4. श्री मधुबाई पुत्री बगदीराम दर्जी आयु व्यस्क
5. श्री मुन्नीबाई पुत्री बगदीराम दर्जी आयु व्यस्क
   समस्त निवासीयान रठाजंना तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्री मांगीलाल पिता देवीलाल कुमावत आयु व्यस्क
7. श्री रामनिवास पिता देवीलाल कुमावत आयु व्यस्क
8. श्री गणपत पिता चम्पालाल कुमावत आयु व्यस्क
9. श्री मांगीलाल पिता चुन्नीलाल पाटीदार आयु व्यस्क
10. श्री केशुराम पिता हीरालाल कुमावत आयु व्यस्क
    समस्त निवासीयान चमलावदा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
11. श्रीमान तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू—राजस्व आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 316/1989 आदेश दिनांक 28.07.1989 के तहत्

उपस्थिति :—

1. श्री कमलसिंह गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री मुरलीधर चौधरी (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)
3. पैरोकार सरकार (अप्रार्थी संख्या—9)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

—: आदेश :—

दिनांक 19.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 316/1989 आदेश दिनांक 28.07.1989 के तहत् प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चमलावदा पटवार हल्का चमलावदा तहसील प्रतापगढ़ की आराजी संख्या 636 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या–1 से 5 कि माता श्रीमती कमलाबाई पत्नि श्री बगदीराम उर्फ मांगीलाल दर्जी को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि रकबा में से आवंटिया श्रीमती कमलाबाई द्वारा 0.21 हैक्टर भूमि अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या–6 व 7 को तथा 0.11 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या–8 को विक्रित की जा चुकी है तथा आवंटिया के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज भूमि आराजी संख्या 636/1144 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का निर्विवादित रूप से उक्त भूमियों के वक्त आवंटन पूर्व से कब्जा काश्त चली आ रही थी। किन्तु आवंटिया द्वारा वक्त आवंटन कार्यवाही राजस्व कार्मिकों से मिली भगत कर अपने रसुक से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को अपने नाम आवंटन करा लिया गया। जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस सब के बावजुद अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि आराजी संख्या 636/1144 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि में दर्ज अन्य सह खातेदारान से हक त्याग कराते हुए तथा प्रकरण के जैरे कार्यवाही उक्त भूमि रकबा में से 0.12 हैक्टर भूमि रकबा पुनः अप्रार्थी संख्या–10 को बेचान कर दी गई जिससे उक्त भूमि के नवीन आराजी संख्या 1307/636 रकबा 0.12 हैक्टर विक्रेता अप्रार्थी संख्या–10 के नाम तथा शेष आराजी संख्या 1306/636 रकबा 0.56 हैक्टर भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज रिकार्ड होने से अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी के कब्जे–काश्त की भूमियों को राजस्व रिकार्ड आधार पर अन्यथा अन्तरीत करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होने की प्रबल संभावना व्याप्त हो गई है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–1 की माता को आवंटित भूमि रकबा क्षेत्र में सार्वजनिक कुंआ एवं सड़क का निर्माण भी हो रखा है जिससे उक्त भूमि का आवंटन निरस्त होना अति–आवश्यक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जारी सूचना पत्र की बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थीगण कि ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 5 कि ओर से दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत किया गया तथा नवीन रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 कि ओर से दिनांक 13.01.2023 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है। प्रकरण में प्रार्थीगण कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ को जरिये न्यायालय पत्र क्रमांक 103 दिनांक 19.01.2023 से लिखा जाने पर तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड क्रमांक :— राजस्व/विविध/2023/6763 दिनांक 15.03.2023 को भी शामील पत्रावली किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ से प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमियां वक्त आवंटन राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 636 रकबा 1.00 हैक्टर के भाग है उक्त भूमि रकबा क्षेत्र पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा–काश्त होने पर भी उक्त भूमि रकबा क्षेत्र अप्रार्थी संख्या–1 से 5 कि माता के नाम आवंटित की गई थी जिसके आधार पर उक्त भूमि रकबा क्षेत्र के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के विरासत एवं हक त्याग तथा विक्रय पत्रों के आधार पर खुर्दबुर्द किया जा रहा है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण कि ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार प्रतापगढ़ से प्रस्तुत रिपोर्ट मौका एवं राजस्व रिकार्ड कि वर्तमान स्थिति अनुसार आवंटित भूमि रकबा काफी विवादित होकर सड़क मार्ग तथा सार्वजनिक कुए की भूमि के साथ साथ प्रार्थीगण कि खातेदारी भूमियों से लगती हुई कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसका आवंटन निरस्त होने पर ही उक्त भूमियों का मौका एवं राजस्व रिकार्ड तथा

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

वास्तविक हितबद्ध व्यक्तियों को आवंटन हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए प्रस्तुत जवाब एवं रिपोर्ट तहसीलदार तथा वर्तमान एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड का हवाला देते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमियां अप्रार्थी संख्या–1 से 5 कि माता श्रीमती कमलाबाई बेवा बगदीराम उर्फ मांगीलाल दर्जी के विधवा श्रमिक कमजोर जाति संवर्ग की महिला होने के आधार पर राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा सन् 1989 में विधिवत् आवंटन की गई थी। जिससे आवंटन शर्तो की पालना करने पर उक्त भूमियां आवंटी/अप्रार्थी संख्या–1 से 5 कि माता के नाम खातेदारी में दर्ज होने अनुसार विरासत से जरिये इंतकाल अप्रार्थी संख्या–1 से 5 तथा माता के जीवंतकाल में उनके पुत्र पुत्रियों के विवाह आयोजन एवं घरेलु आवश्क्ताओं के चलते बेचान से अप्रार्थी संख्या–6 व 7 के नाम दर्ज हुई तथा शेष रकबा क्षेत्र के आवंटिया के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज होने अनुसार आगामी हक त्याग एवं विक्रय विलेख निष्पादित किये गये है। जिसका अप्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमियों पर नियमित कब्जे–काश्त का आधार उक्त भूमियों पर अप्रार्थीगण कि माता एवं अप्रार्थीगण द्वारा काश्त हेतु बंटाई पर देने आधार पर अस्तित्व में आया था किन्तु प्रार्थीगण कि नियत खराब होने से उक्त भूमियों से अपना कब्जा नहीं हटाना चाहते हैं जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण के अवैध कब्जे को मुक्त कराने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना में भी कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जो रिकार्ड पत्रावली पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी से लगी हुई भूमियों के अतिरिक्त आवंटित भूमि पर अतिरिक्त कब्जा होने के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी का दावा भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आवंटन वर्ष 1989 से 33 वर्षो बाद 2022 में प्रस्तुत मिथ्या एवं भाम्रक प्रार्थना पत्र को सिरे से खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किये जाने से संज्ञान में आया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आवंटित भूमि आराजी संख्या 636 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि जरिये मिशल संख्या 316/1989 आवंटन आदेश दिनांक 28.07.1989 के द्वारा आवंटिया श्रीमती कमला बाई बेवा बगदीराम उर्फ मांगीलाल दर्जी को विधिवत् आवंटित की गई थी। आवंटिया की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमियां आवंटिया के विधिक वारीसान अप्रार्थी संख्या–1 से 5 तथा आवंटिया द्वारा विक्रित भूमि रकबा अप्रार्थी संख्या–6 व 7 तथा आगामी अन्तरण से अप्रार्थी संख्या–8 से 10 के नाम दर्ज होना उपलब्ध रिकार्ड है। इस संबंध में तहसीलदार प्रतापगढ़ से प्राप्त मौका एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड से संपुष्टि होती है तथा जाहिर होता है कि आवंटित भूमि रकबा क्षेत्र में से 0.20 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना दर्शित किया है एवं प्रकरण में विवादित आवंटित भूमि के सड़क मार्ग पर होना तथा एक पेयजल कुआ होना भी दर्शित किया गया हैं। किन्तु इन सभी तथ्यों से आवंटित भूमि पर आवंटन पूर्व से प्रार्थीगण का कब्जा होकर आवंटित भूमि के आवंटन से अयोग्य होना साबित नहीं होता है तथा आवंटन वर्ष 1989 से आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त होने उपरान्त 33 वर्षो उपरान्त उक्त भूमियों के आवंटन निरस्ती की कार्यवाही तीसरे पक्ष द्वारा केवल अविधिक कब्जे–काश्त के आधार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बिन्दु पर भी कण्डोन योग्य नहीं है। जिससे आवंटन निरस्त किया जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया है।

(डॉ.अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ